F 1672

(235)

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000

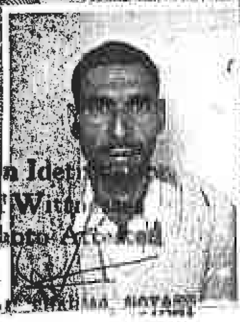

On Identification of Witness Photo Attested

R. C. SHARMA, NOTARY DADRI-NOIDA DISTT. G. B. NAGAR

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 005701

1

विक्रय-पत्र

बैनामा अंकन 7,25,000/- रूपये।

स्टाम्प अंकन 58,000/- रूपये।

<u>विवरण विक्रय सम्पत्तिः-</u> कृषि भूमिधरी के चकबन्दी के आकार पत्र 45 के अनुसार खाता नं0 356 के खेत नं0 27स रकबा 0.4300 हैक्टेयर लगानी रूपये 09=80 पैसे सालाना मे से बकिया रकबा 0.0716 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि को बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला-गौतमबुद्धनगर।

विक्रेता एवम् क्रेता दोनों अनुसूचित जाति एवं जनजाति से है।

विक्रीत भूमि ग्राम समाज पट्टे व भूदान पट्टे आदि की नहीं है। संक्रमणीय भूमिधरी दर्ज है।

विक्रीत भूमिधरी भूमि जिसका सर्किल रेट 35,00,000/- रूपये प्रति हैक्टेयर का है। किन्तु क्रेता द्वारा सर्किल रेट का दोगुना करके तथा उससे भी अधिक पर स्टांम्प शुल्क अदा किया गया है।

विक्रीत भूमि किसी जी0टी0रोड, राज्य रोड अथवा लिंक रोड पर स्थित नहीं है

इन्द्रजीत इन्द्रपाल रविन्द्र रवि

लीलू ... चमरावली

Rajkumar

कार्यालय उप कोषागार
दादरी
07 FEB 2008
स्टाम्प नं० 27 रु० 15,000 ... रुपये ...
स्टाम्प नं० ... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया 8

राजकुमार S/o ओमप्रकाश नि० तुगलपुर (नौ अब्दुल्लापुर)

बनाम 725000/- फीस रजि० 5000
उजरत ... योग 5020/- अन्य लगभग 600
श्री इन्द्रजीत
पुत्र श्री रोहतास पेशा खेती
निवासी चमरावली रामगढ़
ने कार्यालय सब रजिस्ट्रार दादरी जिला
गौतम बुद्ध नगर में आज दिनांक 07-2-08
समय मध्य ..4... व ..5... बजे प्रस्तुत किया।

इन्द्रजीत

सब रजिस्ट्रार दादरी
7/2/08

... लेखपत्र का संपादन एवं इसमें लिखे
... मु० 725000 प्रलेखानुसार
जिसमें से ...
नगद मेरे समक्ष पाकर उक्त श्री

श्री इन्द्रजीत व इन्द्रपाल पुत्रगण स्व श्री
श्री रोहतास व रविन्द्र रवि कुमार पुत्रगण श्री
शिव सिंह व श्रीमती रामवती W/o श्री शिव सिंह R/o
तुगलपुर ने स्वीकार किया

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 Rs.15000

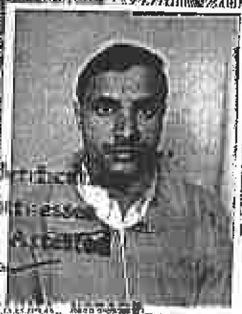

On Identification of Witnesses Photo Attested

उत्तर प्रदेश UTTAR

005702

N. C. SHARMA ADVOCATE
DADRI-NOIDA
DISTT. G. B. NAGAR

2

विक्रीत भूमि की बाबत क्रेता व विक्रेता दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा माहदा वय पंजीकृत नहीं हुआ है।

हम कि इन्दरजीत व इन्दरपाल पुत्रगण स्व0 श्री रोहताश व रविन्द्र व रवि कुमार पुत्रगण स्व0 श्री शिव सिंह व श्रीमती राजकली पत्नी स्व0 श्री शिव सिंह जाति जाटव निवासीगण ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील -दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर (विक्रेतागण, फरीक अव्वल)।

एवम्

राजकुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति कोरी, निवासी ग्राम तुगलपुर, तहसील व जिला- गौतमबुद्धनगर (उत्तर प्रदेश) (सहखातेदार) (क्रेता फरीक दोयम)।

इन्द्रजीत इन्द्रपाल रविन्द्र रवि

राजकली

Rajkumar

... आगार

07 FEB 2008

स्टाम्प सं० 29 ... 15,000/-

स्टाम्प सं० 22 ... में शामिल किया गया

उप ... सेकंड्रिया

छपकुमार 210
अधिकारा — श्री ...

निष्पादक श्री हरि ओम

पुत्र श्री ओमप्रकाश व्यापार

निवासी मुगलपुर

व श्री करन सिंह

पुत्र श्री गिरवर सिंह खेती

निवासी गाजियाबाद दादरी

इन्द्रजीत

7/2/08

इन्द्रपाल

शैलेन्द्र

Raj kumar

रवि

हरिओम

... सिंह

साक्षी ... प्रतीत ...

... नियमानुसार लिये गये

Rs15000रु. Rs15000रु. Rs15000रु. Rs15000रु.

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PI 005703

3

विदित हो कि कृषि भूमिधरी के चकबन्दी के आकार पत्र 45 के अनुसार खाता नं0 356 के खेत नं0 27स रकबा 0.4300 हैक्टेयर लगानी रूपये 09=80 पैसे सालाना मे से बकिया रकबा 0.0716 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि को बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर, जिसका फरीक अव्वल एकमात्र मालिक व संक्रमणीय भूमिधर स्वामी है। जोकि आज दिन तक फरीक अव्वल की ओर से हर प्रकार के भार, बंधक आदि से पाक साफ व सुरक्षित है। यानि कि किसी भी स्थान पर आड़, रहन, बय, हिबै, माहदाबय, जमानत आदि से ग्रस्त नहीं है तथा उपरोक्त भूमि की बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद विवाद विचाराधीन नहीं है तथा फरीक अव्वल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति

इन्द्रजीत

इन्द्रपाल रविन्द्र रवि

राजकली

Raj Kumar

कार्यालय उप कोषागार
डालडी

07 FEB 2008

स्टाम्प नं० 29 ... 15000
स्टाम्प नं० 27 ... में शामिल किया गया
उप रजिस्ट्रार

रामकुमार प्र०
ओमप्रकाश — पुलधर

10000 रु. भारतीय गैर न्यायिक Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हजार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

04AA 270894

हकदार या हिस्सेदार नहीं है। कोई कारण बाधा का उपरोक्त भूमिधरी भूमि को विक्रय करने में नहीं आता है। अतः फरीक अव्वल ने अपनी समस्त शुद्ध बुद्धि व स्थिर चित्त की दशा में खूब सोच समझ कर बिना किसी दबाव व बहकाव के उक्त भूमि को सर्व अधिकार सहित आज की बजारू कीमत के बदले अंकन रूपये 7,25,000/- (सात लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन रूपये 3,62,500/-होते है में इसी समय से हाथ उपरोक्त फरीक दोयम को बेच दी तथा कतई वय कर दी तथा समस्त विक्रीतधन अर्थात भूमि की कुल कीमत निम्नलिखित अनुसार प्राप्त करके बेची भूमि को कब्जे अधिकार अपने से फरीक दोयम में देकर उस पर फरीक दोयम को अपने ही समान मालिकाना मालिक काबिज व दखिल कर दिया है। अब बैय किये पश्चात विक्रीत भूमि के किसी भी अंश से फरीक अव्वल व वारिसान फरीक अव्वल का कोई वास्ता या ताल्लुक किसी भी किस्म

इन्द्रजीत

इन्द्रपाल शैलेन्द्र रवि

नि॰ राजकली

Rajkumar

कोषागार

07 FEB 2008

बीमा 30 10,000

स्टाम्प नं. 22

रामकुमार S/o

आधिप्राय — [illegible]

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 522963

का शेष नहीं रहा है तथा ना ही भविष्य में होगा। कब्जा मौके पर फरीक दोयम को बहैसियत मालिक पूर्ण रूप से करा दिया है। अब आज की तारीख से ही फरीक दोयम को सर्वथा हक व अधिकार होगा कि वह खरीदकर्ता कृषि भूमिधरी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग मालिकाना अपने में लाकर चाहे जिस प्रकार से मालिकाना लाभ उठावें। यदि विक्रीत भूमि का कोई अंश किसी भी नुक्श कानूनी कमी आदि के कारण से कब्जे मालिकाना क्रेता फरीक दोयम से निकल जावेगा या कब्जा फरीक दोयम को न मिले या फरीक अव्वल मालिकाना मालिक हस्ताक्षरकर्ता सिद्ध न हुआ या अन्य किसी कारण से कब्जे मालिकाना फरीक दोयम से कुल या आंशिक रूप से निकल जावेगी तो हर ऐसी दशा में फरीक दोयम को हक होगा कि वह उस समय की बजारू कीमत को जिस प्रकार चाहे बजरिये अदालत फरीक अव्वल व वारसान फरीक अव्वल की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से वसूल कर लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। दाखिल खारिज बेची भूमिधरी का बनाम

इन्द्रपाल रविन्द्र

Rajkumar

क्रम सं० 31 स्टाम्प विक्रय की तिथि 7/3/08
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता राजकुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी (जुगलपुर)
स्टाम्प की धनराशि

अशोक कुमार स्टाम्प विक्रेता
ला० नं० 9- अवधि 31-3-2008
तहसील कम्पाउण्ड दादरी (गौ० बु० नगर)
विक्री सीमा 15000/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 523243

फरीक दोयम के करा दूँगा या फरीक दोयम इस विक्रय पत्र के आधार पर सरकारी अभिलेखों में अपना नाम स्वयं दर्ज करा लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। विक्रीत भूमि कृषि भूमि है तथा आस-पास भी कृषि भूमि है।

विवरण धन अदायगी :- अंकन 7,25,000/- रूपये पेशगी फरीक अव्वल (विक्रेता) ने फरीक दोयम (क्रेता) से प्राप्त कर लिये। अब कोई पैसा विक्रेता का क्रेता की ओर बाकी नहीं रहा है।

उपरोक्त लिखित दस्तावेज फरीक अव्वल व फरीक दोयम की जानकारी के आधार पर तैयार की गयी। दस्तावेज पर चस्पा फोटो गवाहों के कथन पर सत्यापित है।

इन्द्रजीत इन्द्रपाल रविन्द्र रवि

Rajkumar

क्रम सं० 32/31 स्टाम्प विक्रय की तिथि 7/2/08

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ----------

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता राजकुमार ...

स्टाम्प की धनराशि 1000

अशोक कुमार स्टाम्प विक्रेता

ला० नं० 9– अवधि 31–3–2008

तहसील कम्पाउण्ड सावरी (बी॰ जु॰) कानपुर

लिमिट राशि 15000/–

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

C 523244

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7

अतः यह विक्रय पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे। इति।।

इन्द्रजीत इन्द्रपाल रविन्द्र रवि

गवाह - 1 हरिओम

हरिओम पुत्र ओमप्रकाश

नि० तुगलपुर

गवाह - 2

तारीख 07-02-2008 ई0 मसौदाकर्ता **राधेश्याम अग्रवाल,** बैनामा लेखक, दादरी (गौतमबुद्धनगर) **लाइसेन्स नं0-1**

राधेश्याम अग्रवाल
बैनामा लेखक ला.न.-1
तहसील-दादरी (गौतमबुद्धनगर)

क्रम सं० 33/31 स्टाम्प विक्रय की तिथि 7/2/08

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ...

स्टाम्प क्रेता का नाम ... दीपा कुमार अरोरा

स्टाम्प ... 1058

कम्प्यूटराइज्ड स्टाम्प विक्रेता

ला० नं० 9... अवधि 31-3-2008

तहसील कम्पाउण्ड दादरी (गौ०बु०नगर)

विक्रय सीमा 15000/-

आज दिनांक 7/2/2008 को फोटोस्टेट

प्रति पुस्तिका संख्या ... खण्ड संख्या 1059

के पृष्ठ 57/64 पर क्रम संख्या 1672

पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक

दादरी

उत्तर प्रदेश